संख्या–पी–30/14–2–2016–800(25)/2017

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 17 जुलाई 2017

विषयः– जिला मुख्यालय को चार लेन से जोड़ने की योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 जनपद जालौन में बिलराया–पनवाड़ी राज्यमार्ग सं0 21 के किमी0 चैनेज 318.00से 352.00 तक जालौन से औरेया तक चार लेन निर्माण में प्रभावित 42.60301 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2686 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–1876/11सी/एफपी/रोड/23693/2017, दिनांक–09–3–2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला मुख्यालय को चार लेन से जोड़ने की योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में जनपद जालौन में बिलराया–पनवाड़ी राज्यमार्ग सं0 21 के किमी0 चैनेज 318.00 से 352.00 तक जालौन से औरेया तक चार लेन निर्माण में प्रभावित 42.60301 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2686 वृक्षों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव अपने स्तर से परीक्षण करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूँकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव से शासन सहमत हैं।

2– अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण)अधिनियम,1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।
संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या–पी 30 (1)/14–2–2017–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी।
3– जिलाधिकारी, उरई (जालौन)।
4– प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, उरई (जालौन)।
5– अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड–3, ,लोक निर्माण विभाग, उरई।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।